**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 2132**

**31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**सिजेरियन प्रसव की बढ़ती दर**

**†2132. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:**
**सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:**
**एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:**
**श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:**

**क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी स्वास्थ्य संस्थानों में सिजेरियन सेक्शन प्रसव की लगातार अधिक और बढ़ती दर का संज्ञान लिया है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित बेंचमार्क से काफी अधिक हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, विशेषकर महाराष्ट्र में पिछले पांच वर्षों के दौरान सामने आए सिजेरियन और सामान्य प्रसव के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संस्थागत प्रथाओं, वित्तीय प्रोत्साहनों, मेडिको-लीगल पहलुओं और ऐच्छिक सिजेरियन प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाली सामाजिक-सांस्कृतिक प्राथमिकताओं सहित इस प्रवृत्ति में योगदान देने वाले गैर-नैदानिक कारकों का कोई मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चिकित्सकीय रूप से अनावश्यक सिजेरियन प्रसवों को हतोत्साहित करने तथा इस संबंध में मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य परिणाम को सुरक्षित बनाने के लिए स्थापित नियामक, निगरानी और सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

(क) और (ख): निजी स्वास्थ्य संस्थानों में सिज़ेरियन सेक्शन प्रसव की दर और पिछले पाँच वर्षों में महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूचित किए गए सिज़ेरियन सेक्शन तथा कुल प्रसवों का विवरण नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है:

https://www.nfhsiips.in/nfhsuser/assets/National%20Family%20Health%20Survey%20(NFHS-6)%202023-2024%20Fact%20Sheets.pdf

(ग) और (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत, जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (पीआरसी) - जेएसएस आर्थिक अनुसंधान संस्थान, धारवाड़, कर्नाटक के "अंडरस्टेडिंग द कॉनटेक्सट ऑफ सिजेरियन डिलीवरी फ्रम द प्रोवाइर्डस एंड रिसीवर्स पर्स्पेक्टिव" नामक अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार, देश में सी-सेक्शन प्रसव की बढ़ती दर के लिए मुख्य कारण निम्नानुसार हैं;

- **डॉक्टर द्वारा नैदानिक निर्णय-लेना**: नैदानिक संकेतों, जैसे कि माता की आयु, एकाधिक गर्भावस्था, भ्रूण संकट, पहले किए गए सी-सेक्शन, लंबी प्रसव पीड़ा, प्लासेंटा प्रीविया, साथ ही मातृत्व संबंधी जटिलताओं में सिजेरियन प्रसव की अधिक संभावना होती है।
- **रोगी/समुदाय की प्राथमिकताएँ**: इस मामले में निर्णय लेने में इनकी भी भूमिका होती है।

(ङ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनावश्यक सीज़रियन प्रसव को हतोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपाय/पहल की गई हैं। मुख्य उपाय निम्नानुसार हैं:

- सीजीएचएस पैनलबद्ध अस्पतालों को सीज़ेरियन सेक्शन द्वारा होने वाले प्रसव और सामान्य प्रसव के अनुपात के बारे में संबंधित जानकारी प्रमुख रूप से बताए जाने की आवश्यकता है।
- स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाकेंद्रों में डेटा रिपोर्टिंग और निगरानी को सुदृढ़ किया गया है।
- राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) के तहत, सभी सरकारी अस्पतालों के प्रसूति ओटी के लिए मूल्यांकन चेकलिस्ट में एक समर्थित सी-सेक्शन लेखापरीक्षा घटक को शामिल किया गया है।
- कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दक्ष, दक्षता, कुशल प्रसव सहायक (एसबीए) और नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी (एनपीएम) सहित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए हैं।

मातृ और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने के लिए, भारत सरकार ने एनएचएम के तहत निम्नलिखित पहलें की हैं:

- जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए एक मांग प्रोत्साहन और सशर्त नकद अंतरण योजना है।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला और बीमार शिशु जन स्वास्थ्य संस्थानों में सीजेरियन सेक्शन सहित निःशुल्क प्रसव के साथ ही निःशुल्क परिवहन, निदान, दवाएं, रक्त, अन्य उपभोग्य वस्तुओं और आहार के पात्र हैं।

- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के तहत सभी गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक माह की 9 तारीख के निश्चित दिन विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी द्वारा निःशुल्क, सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व जांच की सुविधा प्रदान की जाती है।

  उच्च जोखिम गर्भावस्था वाली गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव होने तक व्यक्तिगत निगरानी के लिए विस्तारित पीएमएसएमए (ई-पीएमएसएमए) कार्यनीति शुरू की गई ।
- लक्ष्य योजना प्रसूति कक्ष और प्रसूति ऑपरेशन थिएटरों में परिचर्या की गुणवत्ता में सुधार करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान और तत्काल प्रसवोत्तर अवधि में सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण परिचर्या मिले।
- सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) का उद्देश्य जन स्वास्थ्य केंद्र में आने वाली प्रत्येक महिला और नवजात शिशु को नि:शुल्क और सेवा प्रदायगी से इंकार के प्रति शून्य-सहिष्णुता के साथ सुनिश्चित, गरिमापूर्ण, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है, ताकि सभी रोकी जा सकने वाली मातृ एवं नवजात मृत्यु को समाप्त किया जा सके।
- प्रसवोत्तर परिचर्या अनुकूलन का उद्देश्य माताओं में गर्भावस्था के दौरान जोखिम के लक्षणों की पहचान पर ध्यान देकर और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कर्मियों (आशाकर्मी) को उच्च जोखिम गर्भावस्था वाली प्रसवोत्तर माताओं की शीघ्र पहचान, रेफरल और उपचार के लिए प्रोत्साहित करके प्रसवोत्तर परिचर्या की गुणवत्ता को बेहतर करना है।
- ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस आंगनवाड़ी केंद्रों में आउटरीच कार्यकलाप है, जिसका उद्देश्य एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के समन्वय से पोषण सहित मातृ एवं शिशु परिचर्या का प्रावधान करना है।
- स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को बेहतर बनाने के लिए, विशेष रूप से आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में, जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं। इस मंच का उपयोग मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने, सामुदायिक लामबंदी करने और उच्च जोखिम वाली गर्भधारण की निगरानी करने के लिए किया जाता है।

- स्वास्थ्य सुविधाकेंद्र में प्रसव के दौरान व्यापक गुणवत्तापूर्ण परिचर्या प्रदान करने के लिए दक्ष, दक्षता के साथ-साथ बीईएमओएनसी, सीईएमओएनसी और एलएसएएस में कुशल प्रसव परिचर्या (एसबीए) में कर्मचारियों का क्षमता निर्माण।
- दुर्गम भू-भाग, दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों तक पहुंच में सुधार लाने और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक रेफरल इकाइयों (एफआरयू), मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग, प्रसूति उच्च निर्भरता इकाइयों और गहन परिचर्या इकाइयों (ऑब्स्टेट्रिक एचडीयू और आईसीयू), प्रसव प्रतीक्षा गृहों (बीडब्ल्यूएच) सहित अवसंरचना को सुदृढ़ करना।

******